षोडश बिहार विधान सभा

पंचदश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-06.03.2020 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री महबूब आलम, स०वि०स० श्री सत्यदेव राम, स०वि०स० श्री सुदामा प्रसाद, स०वि०स० श्री मो० तौसीफ आलम, स०वि०स० श्री मो० आफाक आलम, स०वि०स० श्री रामदेव राय, स०वि०स० श्री मुनेश्वर चौधरी, स०वि०स० श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स० श्री सीताराम यादव, स०वि०स० श्री मदन मोहन तिवारी, स०वि०स०	सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत राज्य के विधवाओं एवं 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के वृद्धों को पहले हाथों-हाथ पेंशन की राशि मिला करती थी । वर्तमान में यह राशि ऑन-लाईन व्यवस्था के तहत लाभुकों को बैंक-खाता के माध्यम से भुगतान होता है । पेंशन राशि के भुगतान की व्यवस्था में परिवर्तन होने के कारण राज्य के हजारों की संख्या में विधवाएँ एवं वृद्धों की पेंशन राशि नहीं पहुंचने के कारण पेंशनधारी पेंशन से वंचित रह जाते हैं । अतः पूर्व से पेंशन प्राप्त कर रहे वर्तमान में वंचित लाभुकों का सर्वेक्षण कर उन्हें पेंशन राशि उपलब्ध करवाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	समाज कल्याण

1	2	3	4
2.	श्री फराज फातमी, स०वि०स० श्री लाल बाबू राम, स०वि०स० श्री नीरज कुमार, स०वि०स० श्री मुद्रिका प्रसाद राय, स०वि०स०	बिहार के दरभंगा जिला सहित राज्य के अन्य जिलों में फरवरी के अंतिम सप्ताह में बेमौसम आई आँधी-बारिश और आंशिक ओलावृष्टि से गेहूं, राई व दलहन की फसल को भारी नुकसान हुआ है । हजारों एकड़ में तैयार गेहूं की खड़ी फसल आँधी-बारिश में गिर गई, उससे गेहूं की पैदावार में चौथाई से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है । प्रकृति की इस मार से किसान त्रस्त हो गए हैं, लागत वापसी में भी अड़चनें आ रही है । अकेले सिंहवाड़ा प्रखंड में 7455 हेक्टेयर में आच्छादन का लक्ष्य था, लेकिन उपलब्धि 6710 हेक्टेयर रही और वो भी अब 30 प्रतिशत से ज्यादा बर्बाद हो गया । अतः किसानों के क्षति का पूर्ण मुआवजा देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।	आपदा प्रबंधन कृषि

बटेश्वर नाथ पाण्डेय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-09/20- 729 / वि०स०, पटना, दिनांक- 05, मार्च, 2020 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / समाज कल्याण विभाग तथा आपदा प्रबंधन विभाग एवं कृषि विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5/3/20
(पाण्डव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-09/20- 729 / वि०स०, पटना, दिनांक- 05, मार्च, 2020 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

5/3/20
(पाण्डव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

5/3/20